कार्यालय मुख्य I अधिकारी, लखनऊ।

संख्या:प-1810/एफ0एस0-12 दिनांक:जून 12

सेवा में,

डायरेक्टर,
लखनऊ पब्लिक स्कूल,
ई4/एचएस/1 आम्रपाली योजना,
हरदोई रोड, लखनऊ।

विषय:- लखनऊ पब्लिक स्कूल भूखण्ड संख्या-ई-4/एच.एस.1 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ में निर्मित बी ब्लाक की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र संख्या-एल0पी0एस0/ए0वाई0/07/2014-15 दिनांक: 27.05.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.10.2012 के द्वारा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष प्रस्तुत मानचित्र एवं भवन का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, चौक, लखनऊ द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीशीलन किया गया, आख्या निम्नवत है।

भवन की संरचना :-

1- कुल भूखण्ड एरिया- 8480.75 वर्ग मीटर
2- निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 616.97 वर्ग मीटर है।
3- प्रथम तल का कवर्ड एरिया-616.97 वर्ग मीटर
4- द्वितीय तल का कवर्ड एरिया-616.97 वर्ग मीटर
5- भवन की अधिकतम् ऊँचाई 12.06 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग :- भवन के सामने 15.00 मीटर रोड की चौडाई एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
2- प्रवेश द्वार की चौडाई- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 3.75 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।
3- सेटबैक:- भवन का सेटबैक निम्नवत है:-

- अग्रभाग- 08.90 मीटर
- पृष्ठभाग- 06.00 मीटर
- पार्श्व भाग- 06.00 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय 06.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:- भवन में दो स्टेयर केस जिनकी चौड़ाई स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 1.5 मीटर है समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- रिफ्यूज एरिया:- आवश्यक नहीं।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-निर्मित भवन में एन0बी0सी0-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पायी गयी।

1- होजरील/डाउनकमर : प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील एवं डाउनकमर की व्यवस्था एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पायी गयी। प्रत्येक तल पर होजरील तथा लैण्डिंग वाल्व लगा है।

2- टैरिस टैंक एवं टैरिस पम्प- प्रश्नगत भवन की टैरिस पर टैरिस टैंक 15000 लीटर क्षमता का मानकों के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में है तथा 450 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरिस पम्प लगा है।

3- भूमिगत टैंक:- आवश्यक नहीं।

4- पम्प- आवश्यक नहीं।

5- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण- भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये जो आई0एस0आई0मार्क है।

PRINCIPAL
... English School
...pur, Varanasi

6- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- आवश्यक नहीं।
7- हस्तचलित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :- आवश्यक नहीं।
8- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम :- आवश्यक नहीं।
9-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-आवश्यक नहीं।
10- प्रेशराइजेशन प्रणाली- आवश्यक नहीं।
11- एग्जिट साइनेज:- सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेट स्थापित किये गये है।
12- पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, चौक, लखनऊ की संस्तुति के आधार लखनऊ पब्लिक स्कूल भूखण्ड संख्या-ई-4/एच.एस.1 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ में निर्मित बी ब्लाक की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अनुसार निर्गत किया जाता है।

1- भवन स्वामी/ प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील ,दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पाई गई त्रुटि का निवारण किया जाय।
5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7- विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है। इन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जायेगा।
8- विद्यालय मे भोजन एवं मिड डे मील आदि भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टीन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।
9- विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
10- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।
11- उक्त शर्तों/ निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>संलग्नक-सत्यापित मानचित्र।</u>

(एच.एस.मलिक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

अग्निशमन अधिकारी, चौक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

PRINCIPAL
Sunbeam English School
Bhagwanpur, Varanasi